FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

बिन्दो कौर वगै. बनाम जोगेन्द्र सिंह वगै.

किस्म मुकदमा :–वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 16/19 व 2019/00002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
31.10.19	पत्रावली पे ा हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदे ा 7 नियम 11 सीपीसी में बहस भ्ाुरू करते हुये वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र की कि वादगत भूमि प्रार्थी को जरिये दानपत्र प्राप्त हुई हैं। अतः स्वअर्जित सम्पति को पैतृक सम्पति मानते हुये धारा 88, 188 व धारा 53 आरटी एक्ट के तहत घोश्णात्मक और विभाजन का वाद लाने के प्रतिवादीगण विधिक अधिकारी नहीं है। स्व अर्जित सम्पति के मालिक के जीवीत रहते उसकी सन्तानों व वारिसों में हिस्सा मांगने व विभाजन का कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा वाद भी तथ्यहीन बिना वाद हैतुक प्रस्तुत किया है। अतः वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने आदे ा 7 नियम 11 में जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि जोगेन्द्र सिंह को अपने पिता से दान पत्र के जरिये मिली है तथा पिता ने अपनी भूमि का बंटवारा कर दान पत्र करवाया था। अतः वादगत भूमि पैतृक सम्पति है तथा वादीगण का हक हिस्सा उसमें निहित है। इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है तथा प्रार्थना पत्र आदे ा 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे। बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेज का गहन अवलोकन व अध्ययन करने तथा बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 जोगेन्द्र सिंह द्वारा धारिज खातेदारी भूमि उसे जरिये दान पत्र प्राप्त हुई है जो कि स्व अर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है। वादीगण को प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह के जीवन काल में उसकी स्व अर्जित सम्पति में हक–हिस्से की घोश्णा करवाने का अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण द्वारा	

	प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ है। अतः प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदे ा 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2019.11.12 16:56:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: